

**FORM NO -III**फर्द-अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी  
मैसर्सखुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा लि  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी गजानन्द  
सेवदा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. Supyari Devi
2. Durga Ram  
Patta no 156 Near to Aasiya  
Masjid Gram Gagrana Gram  
Panchayat Samiti Merta City  
Dist. Nagaur - Raj. 341510

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 573 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.12.22	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक.....(7-1-23) को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p> <p>वकील प्रार्थी श्री अशोक वैष्णव उपस्थित। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र को Note Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Note Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	

17/23

Note Pressed by  
[Signature]  
13